Seventeenth Loksabha

an>

Title: Ruling regarding withdrawal of the Bills.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो तकनीकी विषय उठाया है, उस तकनीकी विषय का क्लैरीफिकेशन मैं करता हूं, वैसे करना माननीय मंत्री जी को चाहिए था। किसी भी नियम में यह नहीं लिखा है कि बिल को वापस लेने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कई बिल वर्तमान में चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत वापस लिए जाते हैं। नियम 110 और 111 क्लीयर है। नियम 110 में भी इजाजत नहीं दे सकता हूं और नियम 111 में भी इजाजत नहीं दे सकता हूं।

प्रश्न यह है :-

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

"कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।